



प्रेस नोट- थाना मण्डावली

दिनांक 22.09.2026

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-113/26 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस 3/4 पोक्सो एक्ट से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

कार्यवाही-

दिनांक 21.09.2026 को थाना मंडावली पर वादीया द्वारा तहरीर दी गई कि एक नामित अभियुक्त द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया तथा वादी की पुत्री को धमकी दे रहा है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 113/26 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियोग में नामित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभिरक्षा में लिये गये का नाम पता:

एक बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-113/26 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस 3/4 पोक्सो एक्ट

अभिरक्षा लेने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार
2. हे0का0 747 मोनू मलिक



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली देहात

दिनांक 22.09.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 218/2026 धारा 3(5)/108/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 21.09.2026 को वादिया सुमन देवी पत्नी स्व0 ब्रजपाल, निवासी ग्राम मुकन्दपुर राजमल, थाना बड़ापुर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. मोनू कुमार पुत्र प्रकाश (पति), 2. भूपेन्द्र पुत्र प्रकाश, 3. प्रदीप पुत्र प्रकाश, 4. भुरे पुत्र प्रकाश, 5. विपिन पुत्र प्रकाश, 6. पूजा पत्नी विपिन, 7. सोनम पत्नी नामालूम एवं 8. प्रकाश पुत्र नामालूम, निवासीगण ग्राम सलेमपुर गधेली, थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री रिंजो उर्फ अंजु को प्रताड़ित किया गया, जिससे उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 218/2026 धारा 3(5), 108, 85 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 22.09.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोनू कुमार पुत्र प्रकाश, निवासी ग्राम सलेमपुर गधेली, थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम सलेमपुर गधेली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 2.हे0 का0 143 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 3.का0 293 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना कोतवाली देहात

दिनांक 22.09.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 217/2026 धारा 76,352,351(2) बी0एन0एस0 व 9m/10 पोक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2026 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त बिजेन्द्र पुत्र सुखे सिंह निवासी ग्राम महुआ थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की नाबिलिग पुत्री के साथ अश्लील हरकते की गयी एवं वादिनी के पति के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 217/2026 धारा 76,352,351(2) बी0एन0एस0 व 9m/10 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

आज दिनांक 22.09.2026 को अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त बिजेन्द्र पुत्र सुखे सिंह निवासी ग्राम महुआ थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता-

बिजेन्द्र पुत्र सुखे सिंह निवासी ग्राम महुआ थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सौरभ कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 2- का0 3184 शिवम त्यागी व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 3- का0 3049 अखिल चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।





प्रेस नोट

थाना स्योहारा बिजनौर

दिनांक 22.09.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 298/2026 धारा 103(1),238(A),3(5) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.07.2026 को आवेदिका श्रीमति तसवीरन पत्नी स्व0 शरीफ निवासी ग्राम चकमहदूदसानी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.उवेश पुत्र अहमद हसन 2. साजिद पुत्र अहमद हसन 3. सितारा पुत्री अहमद हसन निवासीगण ग्राम अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व अज्ञात लोगो के द्वारा आवेदिका के पुत्र नफीस अहमद का गला काटकर हत्या कर शव को छिपाया गया ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0-298/2026 धारा 103(1),238(A),3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. आरिफ पुत्र अहमद अली 2. शोएब पुत्र अहमद अली 3. महफूज पुत्र अहमद अली निवासीगण ग्राम विरामपुर उर्फ अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।



कार्यवाही-

आज दिनांक 22.09.2026 को स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण अभियुक्तगण 1. आरिफ पुत्र अहमद अली 2. शोएब पुत्र अहमद अली 3. महफूज पुत्र अहमद अली निवासीगण ग्राम विरामपुर उर्फ अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- 1.आरिफ पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम विरामपुर उर्फ अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.शोएब पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम विरामपुर उर्फ अलादीन पुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. महफूज पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम विरामपुर उर्फ अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. हे0का0 552 मनोज कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. का0 1131 विपिन कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. का0 2706 आलोक कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. का0 2876 अंशुल राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना को0शहर**

दिनांक 22.09.2026

**थाना को0शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 538/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/ 340(2)/329(4)
बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.07.2026 को वादी प्रशान्त तोमर राजस्व लेखपाल बिजनौर थाना को0 शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त इशरत अहमद पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्रा म इस्लामपुर दास थाना को0 शहर जनपद बिजनौर द्वारा सार्वजनिक भूमि (जोहड़ी) को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से विक्रय करके उस पर कब्जा किया गया ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर मु0अ0स0 538/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/ 340(2)/329(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया गया ।दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त मुसब्बरशाह पुत्र कलुआशाह निवासी ग्राम इस्लामपुरदास थाना को0शहर बिजनौर हाल पता ग्राम मिलक जहाँगीराबाद थाना धामपुर जिला बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मुसब्बर शाह पुत्र कलुआशाह निवासी ग्राम इस्लामपुरदास थाना को0शहर बिजनौर हाल पता ग्राम मिलक जहाँगीराबाद थाना धामपुर जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे चचेरे भाई ने धोखे से तालाब की जमीन में मुझे हिस्सा दे दिया था। जानकारी होने पर मैंने भी फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर गांव के कुछ लोगों से मिलीभगत कर उक्त जमीन को बेच दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुसब्बरशाह पुत्र कलुआशाह निवासी ग्राम इस्लामपुरदास थाना को0शहर बिजनौर हाल पता ग्राम मिलक जहाँगीराबाद थाना धामपुर जिला बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 2435 अनुज कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट

थाना नगीना जनपद बिजनौर

दिनांक -22.09.2026

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0स0 214/26 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/118(1) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.07.2026 को वादी श्री शिव कुमार पुत्र हरिपाल सिंह निवासी ग्राम पखनपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.हर्षित कुमार पुत्र राजकुमार 2. राजकुमार पुत्र हरिपाल सिंह 3. हरिपाल सिंह पुत्र न्यादार सिंह निवासीगण ग्राम पखनपुर थाना नगीना बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 214/26 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 22.09.2026 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित 03 अभियुक्तगण 1.हर्षित कुमार पुत्र राजकुमार 2. राजकुमार पुत्र हरिपाल सिंह 3. हरिपाल सिंह पुत्र न्यादार सिंह निवासीगण ग्राम पखनपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.हर्षित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम पखनपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. राजकुमार पुत्र हरिपाल सिंह निवासी ग्राम पखनपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. हरिपाल सिंह पुत्र न्यादार सिंह निवासी ग्राम पखनपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तारी टीम के नाम-

- 1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. का0 247 सुरजीत थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. का0 2651 बसन्त गोलियान थाना नगीना जनपद बिजनौर